झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001
प्रेस विज्ञप्ति

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत ''बाल विकास परियोजना पदाधिकारी'' प्रारंभिक परीक्षा (विज्ञापन संख्या–21/2023) में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु Online आवेदन–पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र Upload करने संबंधी आवश्यक अनुदेश।

1. **दिनांक–10.06.2024** को आयोजित महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत ''बाल विकास परियोजना पदाधिकारी'' प्रारंभिक परीक्षा (विज्ञापन संख्या–21/2023) का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। यह परीक्षाफल आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
2. परीक्षाफल में किसी भी त्रुटि अथवा टंकण त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
3. मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि–02.08.2024 से 04.08.2024 है।
4. मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक–27.07.2024 से निर्गत किए जायेंगे।
5. लिखित मुख्य परीक्षा हेतु निम्न विषय होंगे :–

   (क). हिन्दी–100 अंकों का होगा। हिन्दी के अंक Qualifying होंगे। Qualifying अंक 30 होगा। इसके अंक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। हिन्दी विषय का पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे।

   (ख). सामान्य अध्ययन–दो पत्र (प्रत्येक 100 अंकों) के होंगे।

   (ग). वैकल्पिक विषयः–
6. (i) गृह विज्ञान (ii) मनोविज्ञान (iii) समाजशास्त्र (iv) श्रम एवं समाज कल्याण। इनमें से किन्हीं एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। वैकल्पिक विषयों के 02 (दो) पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र–200 अंकों का होगा।

नोटः–(i) मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन किया जायेगा। वैकल्पिक विषय का चयन के पश्चात् वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा एवं वैकल्पिक विषय का चुनाव अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

7. मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन Online भरे जायेंगे। यह आवेदन–पत्र आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
8. Online आवेदन भरने की तिथि दिनांक–16.07.2024 से दिनांक–26.07.2024 समय 5:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।
9. **ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक–01.08.2024 अपराह्न 5:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001"** के पते पर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/हाथों–हाथ जमा करना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर **विज्ञापन संख्या–21/2023 Registration number** तथा परीक्षा का नाम यथा''बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य (लिखित) परीक्षा '' मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
10. अभ्यर्थी Online आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर प्रदर्शित पूर्व का विस्तृत विज्ञापन एवं Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक निदेश का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे।
11. Online आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये आयोग के Helpline No. **+918956622450/+919431301636/+919431301419** एवं **helpdesk@jpsc.gov.in** पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
12. Online आवेदन भरे जाने के लिये अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर अपना E-mail id/ Phone number/Candidate id एवं Password डालकर Login करेंगे। Login करने के बाद Step-1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किये गये विवरणी Start/View Application Button पर Click कर देख सकेंगे, तत्पश्चात् Step-2 में मुख्य परीक्षा हेतु वांछित विवरण अंकित करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अभिलेख/प्रमाण–पत्र का Scan Copy PDF File में Upload करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निदेश के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु Online आवेदन पत्र भरा जाना है एवं साथ ही आवश्यकतानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र Upload किया जाना अनिवार्य है।

   I. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किये गये दावे के संबंध में तत्संबंधी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

   II. विभिन्न कोटियों (Female, EWS, EBC-I, BC-II, SC, ST, Sports, PTG, PwBD) के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करेंगे।

कृ0पृ0उ0

III. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में अंकित किये गये कोटि यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I (EBC-I), पिछड़ा वर्ग–II (BC-II), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं आदिम जनजाति (Primitive Tribe) के दावे के संबंध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन की कंडिका–13 के अनुसार तत्संबंधी प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–4258, दिनांक–30.05.2019 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में जाति प्रमाण–पत्र भी लागू होगा।

IV. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में निःशक्ता संबंधी आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में (कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्त) सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्ता प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।

V. मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।

VI. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में झारखण्ड राज्य के नियमित सरकारी सेवक का दावा करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में नियंत्री पदाधिकारी (Controlling Officer)/विभागाध्यक्ष (Head of the Department) के स्तर से निर्गत NOC प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।

VII. अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ के दावा के संबंध में वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र Upload करना अनिवार्य है।

13. अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त सभी संबंधित अभिलेख/प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
14. Online आवेदन में दी गयी सूचना एवं Upload किये गये अभिलेख/प्रमाण–पत्र में भिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
15. किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने या प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
16. इन्टरनेट व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
17. हॉर्ड कॉपी जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हॉर्ड कॉपी प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
18. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।